

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री मुकेश कुमार मीणा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 259/2023

उनवान

विवेक पेमावत पुत्र गोपीलाल पेमावत(जैन) निवासी 06-ए-, न्यू हाउसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा
- प्रार्थी

बनाम

- 1- गणेश पिता गोपी जाट निवासी लुलास तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
- 2- रामलाल पिता बट्टी जाट निवासी धांगड़ा का खेड़ा लुलास तहसील शाहपुरा
- 3- मदन सिंह पुत्र लाल सिंह महाजन निवासी लुलास तहसील शाहपुरा
- 4- जगदीश पुत्र रामकिशन महाजन निवासी लुलास तहसील शाहपुरा
- 5- सांवरा पुत्र देवा जाट निवासी धांगड़ा का खेड़ा लुलासा तहसील शाहपुरा
- 6- देवी पुत्र हजारी गुर्जर निवासी धांगड़ा का खेड़ा लुलासा तहसील शाहपुरा
- 7- राम दूदा पुत्र नाना गुर्जर निवासी धांगड़ा का खेड़ा लुलासा तहसील शाहपुरा
- 8- मु. चांदू पुत्री खाना जाट निवासी मुण्डेती तहसील शाहपुरा
- 9- मु. मेमा पुत्री खाना जाट निवासी मुण्डेती तहसील शाहपुरा
- 10- मु. समता पुत्री खाना जाट निवासी मुण्डेती तहसील शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री त्रिलोकचंद नौलखा : अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 26/02/2024

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम लुलास पटवार हल्का लुलास तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित आराजी नम्बर 928 रकबा 0.43 है0, 930 रकबा 1.11 है0, 1031 रकबा 1.96 है0, 1038 रकबा 2.33 है0, 1037 रकबा 2.00 है0, 1040 रकबा 1.90 है0, 1041 रकबा 0.24 है0, 1007 रकबा 1.11 है0, 1009 रकबा 1.22 है0, 1061 रकबा 0.43 है0 कुल किता 10 रकबा 12.73 हैक्टेयर का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 14.02.2024 को विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 5, 7 लगायत 10 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं0 6 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थी के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गयी एवं प्रकरण वास्ते बहस के नियत किया गया। प्रकरण में दिनांक 26.02.2024 को बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम लुलास पटवार हल्का लुलास संवत् 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा लुलास में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 10 रकबा 12.73 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 3000/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/02/2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।



hny
(मुकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

hny
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा